nt>

12.30 hrs

Title: *hRegarding situation arising out of the nationwide strike by postal employees and steps taken by the Government.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I call the attention of the Minister of Communications to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Situation arising out of nationwide strike by postal employees resulting in a lot of inconvenience to the people and steps taken by the Government in regard thereto."

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now except the Minister"s Statement. Shri Bwiswmuthiary, please resume your seat. I told you that this is not `Zero Hour". The Calling Attention has started. Now the hon. Minister, please.

*(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय :पप्पू यादव जी, मैंने कहा न कि आपको बाद में चांस मिलेगा।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) अध्यक्ष महोदय, तीन डाक फेडरेशनों ने अपने मांग पत्र को लेकर दिनांक 05.12.2000 से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर जाने के संबंध में दिनांक 06.11.2000 को एक नोटिस दिया था, जिसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं'

I) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन, विशेा रूप से उन्हें दर्जा और पेंशन दिए जाने के संबंध में।

II) डाक कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गो जैसे समूह **घ** कर्मचारी, डाक/छंटाई सहायक, पोस्टमैन, डाक लेखाकार आदि के लिए वेतनमानों और वित्तीय तथा अन्य लाभों में सुधार की मांगें।

इस मांग पत्र की मांगें लगभग वैसी ही हैं जैसी कि डाक फैडरेशनों ने 2.5.2000 से हड़ताल पर

*Not Recorded.

जाने के अपने नोटिस में उठाई थी। उस समय विभाग और फेडरेशनों के बीच हुए समझौते के अनुसार कार्रवाई कर ली गई है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए दर्जा और पेंशन प्रदान करने की मांग की जांच की गई थी, और यह पाया गया कि दिसम्बर, 1998 में तलवार समिति की सिफारिशें पूर्ण और अंतिम रूप से कार्यान्वित कर दी गई हैं, तथा तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा इस आशय की सदन में घोाणा की गई थी। जहां तक यूनियनों द्वारा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली में परिवर्तन करने से संबंधित मांग है, विधि मंत्रालय के परामर्श से इस नामावली में संतोाजनक समाधान किया जा रहा है। सरकार ने दिसम्बर, 1998 में ईडी एजेंटों को जो पैकेज दिया था, उसमें उन्हें पर्याप्त लाभ प्रदान किए गए थे। इनमें ईडी एजेंटों के मासिक भत्ते में 1.1.1996 से 28.2.1998 तक के लिए 3.25 के गुणक में वृद्धि, 1.3.1998 से भत्ते में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय सापेक्ष निरंतरता भत्ता (टाइम रिलेटिड कन्टीन्यूटी अलाउंस), प्रत्येक आधे वर्ा के लिए 10 दिन की छुटटी, अनुग्रह उपदान को 6,000/रू0 से बढ़ाकर 18,000/रू. करना, ईडी, एजेंटों के लिए अनुमत कार्यालय भत्ते को 25/रू. से बढ़ाकर 50/रू. करना तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को रोजगारोत्तर लाभ के रूप में एकमुश्त सेवा विच्छेद भत्ता देना भी शामिल है। ईडी एजेंटों को दिए गए इस लाभ पैकेज के संबंध में, उस समय यह हिसाब लगाया गया था कि इससे बकाया राशि के भुगतान के रूप में 157.74 करोड़ रू. का व्यय होगा। इन लाभों की अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक लागत 301.35 करोड़ रू. थी। इस प्रकार, ईडी एजेंटों के वेतन बिल को 69% से अधिक बढ़ाया गया। ईडी एजेंटों को इतना अधिक लाभ प्रदान करते हुए, अतिरिक्त विभागीय नेटवर्क का आकार छोटा करने, अतिरिक्त विभागीय पदों को भरने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने तथा 10 वर्ा तक अतिरिक्त विभागीय संस्थापना में कोई वृद्धि न करने, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की उच्च आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ा कर देने से संबंधित न्यायमूर्ति तलवार समिति की नकारात्मक सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

विभागीय संवर्गो से संबंधित मांगें दो श्रेणी की हैं - एक तो वे हैं जिनका असर डाक विभाग पर और दूसरी वे हैं जिनका पूरे सरकारी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। डाक तथा छंटाई सहायक संवर्ग के लिए अतिरिक्त एचएसजी-I ग्रेड के पदों की मांग, कनिठ, लेखा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेा वेतन, सार्टरों को लेखा संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक बनाने तथा वर्कशाप कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षा की मांगें ऐसे मुद्दे हैं, जो विभाग से संबंधित हैं, जिनका प्रभाव सीमित होगा। इनके शीघ्र समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न विभागीय संवर्गो का वेतनमान बढ़ाने तथा अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की मांगें पांचवें वेतन आयोग से संबंधित हैं। डाक फेडरेशनों से लिखित अनुरोध प्राप्त करने के बाद एक अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) द्वारा इनकी जांच की गई। अंतर्विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया कि तीन मांगें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें से संबंधित थीं, जिन्हें या तो मंत्रिमंडल स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया था अथवा विभागीय विसंगति समिति/राट्रीय जेसीएम स्तर पर असहमति दर्ज की गई थी। इस प्रकार, इस समय कोई कार्रवाई संभव नहीं है। यूनियन की मांग यह है कि पोस्टमैन के बढ़ाए गए वेतनमान को 1.1.96 से प्रभावी किया जाए। पोस्टमैनों की मांग थी कि उनकी सीपीओ के कांस्टेबल के साथ पूर्व-समानता बरकरार रखी जाए। उनकी मांग के जवाब में, उन्हें उन्नत वेतनमान दिया गया। सीपीओ के कांस्टेबल के बढ़े हुए वेतनमान के लिए प्रभावी तारीख 10.10.97 निर्धारित की गई थी। चूंकि, इन उन्नत वेतनमानों की प्रभावी तारीख के संबंध में मामला इस समय न्यायाधीन है, और इसलिए इस बारे में फिलहाल कोई निर्णय संभव नहीं है।

कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान के लिए, प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों को मंत्रियों के स्थायी ग्रुप को सौंप दिया जाए, जिसका गठन पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है। मंत्रियों के ग्रुप ने इस मामले पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। फिर भी, डाक फेडरेशनों ने इन विचार-विमर्शो के परिणाम की प्रतीक्षा न करने का निर्णय लिया और 5.12.2000 से अनिश्चितकालीन

हड़ताल पर चले गए।

कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर गहन विचार विमर्श किया गया था। सरकार ने सिफारिशों को लागू करते समय पर्याप्त सुधार किए। इस संबंध में दिनांक 11.9.97 को सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष द्वारा जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें डाक विभाग के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के समूह घ और समूह ग कर्मचारियों के एस-I से एस-13 तक के वेतनमान शामिल थे। सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से, पर्याप्त वित्तीय लाभ मिलने के बावजूद डाक कर्मचारी तथा उनकी फेडरेशनें वेतनमानों और अन्य भत्तों में और अधिक सुधारों के लिए मांग करती रही हैं। चूंकि, विसंगति के निराकरण के लिए तंत्र पहले से ही मौजूद है, इसलिए इन मांगों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अन्य विभागों में तीव्र असर पड़ेगा। सरकार का यह सुविचारित मत है कि सरकार द्वारा लागू किए गए वेतनमानों के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय होना चाहिए। निपटाए जा चुके मामलों को दुबारा नहीं उठाया जाना चाहिए। तथापि, समानस्तर अथवा ऊपरी स्तर की सापेक्षताओं में परिवर्तन के कारण विसंगतियों के मामलों को, इस प्रयोजन के लिए गठित विसंगति समिति को भेजा जा सकता है। डाक कर्मचारी पक्ष ने अभी तक इस फोरम का उपयोग नहीं किया है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप दूसरे विभागों की तुलना में विभागीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पर्याप्त सुधार किए गए हैं। समूह ख डाक कर्मचारियों के साथ साथ सहायक अधीक्षक एवं निरीक्षक, स्टेनोग्राफर ग्रेड-II , कनिठ अभियंता, लेखाधिकारी, उप प्रबंधक और ड्राइवर ग्रुप-I सहित मशीन मैन, सभी को उन्नत वेतनमान दिये गये हैं। इस प्रकार, डाक कर्मचारियों को सामान्य रूप से तथा उसके तीन महत्वपूर्ण घटकों अर्थात पोस्टमैन, ग्रुप घ कर्मचारी तथा मूलतः प्रचालन ग्रुप ग संवर्गो के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय अत्यधिक अनुकूल व्यवस्थाएं की गईं। दिसम्बर, 1998 में जारी किए गए आदेशों द्वारा ईडी एजेंटों को भी पर्याप्त लाभ मिला है।

गत कुछ दिनों के दौरान डाक फेडरेशनों तथा इनकी संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों, सचिव, डाक विभाग और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ एक से अधिक बार बैठकें कीं, जिनमें उनकी मांगों तथा उन पर सरकार की राय के पीछे अंतर्निहित तर्काधार पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। 23 नवंबर, 2000 को भी उनके साथ मेरी 3 घंटे लंबी बैठक हुई और उसके बाद उनसे टकराव का रास्ता छोड़ने एवं हड़ताल का नोटिस वापस लेने का अनुरोध करते हुए लिखित अपील जारी की गई, ताकि उपलब्ध संसाधनों एवं बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी वास्तविक शिकायतों का परस्पर स्वीकार्य हल निकल सके। मंत्रियों के ग्रुप की 2.12.2000 को बैठक हुई जिसमें उन्होंने डाक कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। उसके बाद से, यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बातचीत चल रही है और मैंने 4 दिसम्बर को उन्हे पुनः बुलाया और उनके साथ दो घंटे तक लंबी बातचीत की तथा उनसे हड़ताल समाप्त करने की अपनी अपील को दोहराया ताकि हड़ताल के फलस्वरूप आम आदमी को होने वाली दिक्कतें खत्म हो सकें। गांवों की गरीब जनता काफी हद तक मनीआर्डर सेवा पर निर्भर करती है तथा यूनियन के प्रतिनिधियों से इस बात पर विशेा रूप से गौर करने का अनुरोध किया गया। मुख्य श्रम आयुक्त हड़ताल समाप्त करवाने के अपने प्रयासों में यूनियन के प्र ातिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के साथ सुलह सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य श्रम आयुक्त ने तीनों फेडरेशनों को यह भी सलाह दी कि वे हड़ताल न करें क्योंकि उनकी मांगें मंत्रियों के ग्रुप के समक्ष हैं और सुलह सफाई की कार्रवाई भी चल रही है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें पर सरकार के निर्णयों से कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ है, जिनमें डाक सेक्टर के कर्मचारी भी शामिल हैं। डाक यूनियनों की उन मांगों पर, जो केवल डाक संवर्गो से संबंधित है व जिन पर बाहर प्रतिक्रियाएं नहीं हो सकतीं, पहले ही सकारात्मक रूप से ध्यान दिया जा रहा है तथा मंत्रियों का ग्रुप भी इन बातों से अवगत है। डाकघर समाज के सभी वर्गो को बहुमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन गरीब और कमजोर वर्गो तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें डाक हड़ताल से सबसे अधिक नुकसान होता है। अतः मैं इस महान सदन के माध्यम से डाक यूनियनों तथा कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें तथा अपनी शिकायतों का समाधान ढूंढने के लिए बातचीत की टेबल पर वापस आएं।

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डाक की चल रही हड़ताल के विाय में दिनांक 13.12.2000 को लोक हित के एक मुकदमें की सुनवाई की गई थी। डाक की हड़ताल के कारण आम आदमी को हुई अत्यधिक असुविधा को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इस मामले से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस विाय में ध्यान देना होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की चर्चा भी की गई थी कि डाक सेवाएं 15.12.2000 तक बहाल कर दी जानी चाहिए और सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह डाक सेवाओं को बहाल करने के लिए परिस्थिति के अनुसार आवश्यक सेवा अधिनियम का आश्रय लेने सहित ऐसे कदम उठाए जो इन परिस्थितियों में उचित हों।â€¦(व्यवधान)हमने कहा कि हम कोर्ट का आदेश पढ़ रहे हैं तो आप शेम-शेम कर रहे हैं। ये कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं।â€¦ (*Interruptions*)

This is the court verdict. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister complete his speech.

...(*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : मुख्य श्रम आयुक्त ने डाक फेडरेशनों की हड़ताल को औद्योगिक विवाद अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत गैरकानूनी घोाित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वे अपनी हड़ताल वापस लें। सचिव(डाक) ने 13 और 14 दिसम्बर, 2000 को यूनियन प्र ातिनिधियों से बात करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव को स्पट किया तथा हड़ताल वापस लेने और तत्काल काम पर लौट आने का उनसे फिर से अनुरोध किया। सभी डाक सर्किलों को इस आशय के उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं कि वे स्थानीय यूनियन नेताओं और कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और इसके प्रभावों से अवगत कराएं तथा उनसे काम पर लौट आने का अनुरोध करें ताकि डाक सेवाओं में तत्काल सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बात इतनी ही है कि आप हड़ताल खत्म कराइये, समझौता कराइये।

श्री राम विलास पासवान : आप क्यों हल्ला करते हैं, आपका नाम तो टेलीविजन और रेडियो में आ ही जाएगा। मंत्रियों के ग्रुप (जीओएम) ने 14-12-2000 की अपनी बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों पर विचार किया है और डाक सेवाएं बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, you know that the Mover of the Calling Attention Motion will have ten minutes, and others will have five minutes. You can ask one clarificatory question. Shri Pappu Yadav is waiting.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will not take more than ten minutes, Sir. Maybe, one or two minutes more.

Sir, the Government has declared a war against six lakh postal workers who went on strike since 5th December, 2000. Postal workers have not suddenly gone on strike. Sir, you would remember that in July, 1998, there were

strike for eight days and the issue was raised on the floor of the House. The former Minister of Communications, Shrimati Sushma Swaraj made a statement on the floor of the House. She had also given an assurance to the effect that the pending issues of the postal workers, particularly of the extra-departmental staff, would be settled and Chiranjit Singh Talwar's Committee Report would be implemented. On the assurance of the Minister, all the Unions of the Postal Department withdrew their strike. Again, they waited for three long months. But that assurance was not implemented. Then, again they decided to go on strike in December. Again, an assurance was given and a Committee was set up vide O.M. No.23106/98, dated 17.7.1998 and again 5.8.1998. That Committee also recommended it. That Committee was constituted and it has representatives from the Ministry as well as from the Unions.

There was an agreement signed by all the members of that Committee, but this agreement has not been implemented. The Minister, in his statement, has stated that the demands for status and pension of ED agents were examined, but it was found that the recommendation of Talwar Committee had been implemented in full and in final shape in 1998.

Sir, what was the main recommendation of Talwar Committee? The main recommendation of Talwar Committee was to give status to the Extra-Departmental postal employees, that is, the status of Rural Postal Employees, but this status has not been given to them. As regards pension also, the Government has not yet implemented the recommendation of Talwar Committee. The Minister has referred to the statement made in the other House by the then Minister of Communications, Shri Jag Mohan. There was an allowance called, Severance Allowance that was sanctioned, but nothing was done with regard to giving status to the Extra-Departmental postal employees and nothing was done to give pension to them as was recommended by Justice Talwar Committee.

Sir, it is not true that Justice Talwar Committee's recommendations have been implemented fully. When all the Federations decided to go on strike in the month of May, both the Senior Minister and the Junior Minister met the representatives of the Unions and they also assured them that all the demands of the postal employees would be considered. They wanted four months' time and it was given to them. But during these four months, the Ministry did not find any time to implement the longstanding demands of the postal employees.

Sir, another agreement was also signed on 1.5.2000 assuring implementation of all agreed issues, preferably within four months and a Designated Officer was also appointed to deal with the issues of Extra-Departmental employees, like giving status and pension. So, the strike plan was dropped by the Unions when this assurance was given by both the Ministers. They waited all these months and as most of their pending demands pertaining to the Extra-Departmental employees as well as the demands of the Group 'C" and Group 'D" employees of the Department of Posts were not met, then in the month of November they decided to go on an indefinite strike.

When I was Chairman of the Committee on Government Assurances, this Committee also recommended that all the pending issues of Postal employees − both extra-Departmental and regular departmental employees − should be settled. Then, this Committee was assured by the Ministry that the issues relating to status and pension of extra-departmental employees would be looked into by the Talwar Committee and the recommendations of that Committee would be implemented. Even the recommendations of the Committee on Government Assurances have not been implemented by the Ministry of Communications. What they did was that they had referred this matter to the Group of Ministers. When was it referred? Since how long is this issue pending with the Group of Ministers? It is lying there for years together. There are the questions of anomalies and of giving higher grade to Group 'D' employees. We cannot compare Group 'D' staff of the Postal Department with the Group 'D' staff of other Departments.

At one point of time, the Minister had also agreed that their demands were justified. In spite of that, all these issues remained unsettled for years together. The Minister has referred to the judgment of the Delhi High Court. What he has stated in his statement is only one version of the judgment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, ask your clarification.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am coming to the question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already taken 12 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will conclude in two or three minutes. What Delhi High Court asked is also very relevant. We find it necessary to point that out: "We are surprised to find that the respondents have not sorted out the anomalies and grievances." He has not referred to that portion of the order of the Delhi High Court regarding the anomalies and grievances which had been presented by the employees: "No final decision appears to have been taken. The decision, if not already taken, shall be taken within one week from today."

He has not indicated in his statement when he is going to take a decision in regard to the pending demands of the

employees. Has he asked the State Governments to invoke Essential Services Maintenance Act? When ESMA was being enacted in 1981, he opposed it tooth and nail. What was his contention?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, you ask a question now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have gone through his speech. He said that this would be misused against the trade union movement. But today, after becoming a Minister, he has forgotten what he had stated when he was in the Opposition. Today, he is misusing this Act against the working class, that is, the Postal employees. He has declared their strike illegal.

The issues are pending since 1997 and not from the date when the recommendations of the Fifth Pay Commission were implemented. Even prior to that, a question was asked in 1995. An assurance was given during that year that their demands would be considered.

13.00 hrs.

What action the Government has taken to mitigate the grievances of postal employees? I would like to know from the hon. Minister to tell us about the status and about granting 50 per cent pension as per the recommendations of the Talwar Committee. This was also recommended by the Fifth Pay Commission. I would like to know what action he has taken to implement the recommendations of Talwar Committee with regard to the status as well as with regard to pension.

When a Committee was constituted at the instance of the Government...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There was an agreement between the representatives of the Government and the representatives of the Unionsâ€¦ (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please put your question, Shri Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I would like to know whether the hon. Minister will implement the agreement which was arrived at within the representatives of the Government and the representatives of the Unions. As the hon. Minister has declared the strike illegal, I would like to know whether he is going to withdraw that order.

There is another version to this where the Delhi High Court has also asked the Government to concede the demands and to settle the grievances of postal employees, including extra-departmental staff. I would like to know what action the Government propose to take with regard to the implementation of the Delhi High Court"s Order.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Sir, I will not take even a few seconds more than the time allotted to me. I will never exceed my time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are now under test, let me see.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : The Statement of the hon. Minister is full of contradictions. In the first instance, he has said that Justice Talwar Committee"s recommendations were fully implemented in 1998. But again when they gave a strike notice on May 2, he said the Government wanted four months to resolve.

13.03 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

Why the Government has not settled at that time itself when all the issues have been settled? Why they again wanted time of four months when strike notice was given on 2nd May? This shows the callousness on the part of the Government. It has been more than four months and the Government has not taken any action on this. It is inaction on the part of the Government. What is wrong on the part of the postal employees to go on strike when the Government is not forthcoming to settle their issues?

Sir, they must have sympathy towards the employees. They reach every village to deliver letters. The Extra-departmental (ED) agents are being paid meagre salary. The poor people do not have any fax machines or courier service or e-mail, etc. India is a poor country and these ED agents are poor people. Unless you resolve these, many of the pensioners, I am told, would not receive their money orders.

There will also be starvation death. I am telling you this today. You resolve it. Today is the final date that the Court has given. The courts are not necessary. The Government is supreme. The Government must have a will. You must exercise your will not by way of ESMA. ESMA is not a big thing. You can hang a sword on anybody's head. It is not that difficult. But the Government should not talk about ESMA and all these things. The Government is on a bigger pedestal. The poor postal employees are on a very, very sorrow ground. I know their working conditions. I

attended several of their meetings. Most of them are very, very poor people. That is why, there was no age limit. You said that the Talwar Committee fixed all the conditions that have been suggested. They have suggested 60 years as the retirement age. Why have you not implemented? You should have implemented it. You should have given some more orders to the younger people. That itself says that you have not implemented Justice Talwar Committee's report. This is my first point.

Secondly, you have not acted in time. When they have said on 2nd May that they are going on a strike, you asked four months' time to resolve all those things. The Government again failed. You have not resolved that within four months. Now, you are again threatening them with ESMA. What else could I say on this issue? You must have a big heart for the poor people. I am not talking on the basis of politics. I am talking on a realistic basis. You must be realistic. You must solve this. Otherwise, the very poor people will not get their money orders.

The last date of receipt of applications for examination in Sainik Schools, IITs and in many other schools is 31st December. Many people have applied. If they do not receive the applications, one academic year has gone. So, kindly advise the Defence Minister also to extend the last date for receipt of applications in all the Sainik Schools from 31st December to 31st January so that, at least, the boys do not suffer for your inaction. Kindly take this into consideration. Do your best. Today is the last date. The hon. Minister is very generous in many ways. I know you are very generous. You have given several concessions for several people. ...(*Interruptions*) I am not talking about that. You are generous. I say our hon. Minister is very generous. I know him personally for the past 10 years. He is very generous. His concern is for the *Dalits*. His concern is for the poor people. His concern is for the common people. Then, why are you not acting? Kindly act in time. Kindly resolve this by this evening. You call them and do justice to everybody. Thank you very much.

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Hon. Chairman, Sir, we, in this august House, either listen to long lectures which are given to us either by court or by court orders or we are told about how bad the situation is. But what about the remedial measures that should be taken up also for a change in this country? Is the Government totally insensitive to all the major issues that ail our country? Whether it is drought, whether it is flood, whether it is the farmers' issue, the insensitivity of the Government to all these basic problems is something which is abysmal low and very disappointing to say the least.

As far as the postal strike is concerned, both the hon. Members senior to me, have already spoken about how to bring about a solution.

MR. CHAIRMAN : You ask questions first.

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Yes, I would. I think I would like to say a few things before that. So, it is the duty of the Government to look after the basic needs of this country.

MR. CHAIRMAN: There is no need of a speech please.

SHRIMATI SHYAMA SINGH : The ESMA could have been brought into focus if this strike was declared illegal from day one. The hon. Minister knows that the strike was illegal. Since 12 days, why did they not invoke the ESMA? After all, this Act was passed in Parliament. We expected that, at least, the postal strike could have been taken care of by bringing in ESMA.

The second most important thing is that many important people and as well as poor people who have made it the hard way, have lost their employment in India and abroad because of lack of postal services. Now, I feel that the Government must have a specific and workable plan to deal with this postal strike. Like they have a plan for telecommunications, they can also have a plan for the Postal Department.

They could lay down a positive and a specific work plan for the Postal Department and secondly, the Government must increase and introduce new technology in order to increase the productivity. I feel that this is more important because with six lakhs of workers on strike and three lakhs of people not getting employment, I would request the hon. Minister to take a sympathetic view about these people who have been out on the road and more so the common man who has also been suffering to a lot for the last ten days.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): I call the attention of the hon. Minister to this serious issue. Six lakh postal workers are on a nation-wide strike, perhaps, for the last ten days. The entire postal communication system in the country has totally collapsed. Young men and students are getting frustrated and among the people of the whole country there is a controversy as to how the Government would solve the problem.

I think after joining the NDA the hon. Minister has forgotten his past. I do not want to remind him, but he mentioned earlier in this House and even outside that he was for the Dalits, that he was advocating the cause of the Dalits. So many people of the backward classes are working in the Postal Department. He is making a statement today

because a Calling Attention Motion has been admitted by the hon. Speaker.

But I do not know what were the reasons which refrained him from making a statement before the House earlier when the House was in Session. What was going on and what were the problems being faced to end the stalemate?

MR. CHAIRMAN : Please come to the point. Do not make a speech.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I want to ask four questions. May I know from the hon. Minister, what are the reasons â€¦....(*Interruptions*)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : सभापति जी, उद्योग बंद हो रहे हैं। â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : इसलिए तो हम विाय पर आने के लिए कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I am only asking questions. â€¦ (*Interruptions*) Shri Khurana also put the questions. ...(*Interruptions*)

My first question is, what are the reasons which allowed the Government to declare the strike illegal neglecting Parliament, without seeking the approval of Parliament when it was in Session?

My second question is, whether the hon. Minister has concealed some relevant portion of the Delhi High Court order. The hon. Delhi High Court gave a direction to the Government to come forward and end the stalemate, to negotiate with the employees' union and settle their charter of demands forthwith within 48 hours. I do not know whether the hon. Minister had refrained from complying with the order of the Delhi High Court.

MR. CHAIRMAN : Shri G.M. Banatwalla.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : My third question is, whether the Government refrained from positively implementing the recommendations made by the Justice Talwar Committee regarding the pensions and other facilities of the extra-departmental employees of the Postal Department.

My fourth question is that this is not a new demand; almost all the demands have been made by six lakh workers who are on strike.

Your predecessor, Shrimati Sushma Swaraj and hon. Prime Minister, both of them, had assured the House that they would settle the issue and solve the problems; that they would give all the facilities, which have been demanded by the postal employees. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : सिर्फ श्री बनातवाला की बात रिकार्ड में जाएगी और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) *

*m07

SHRI G.M. BANATWALLA : Mr. Chairman, Sir, the reply of the hon. Minister is a master piece in evasion of issues. The issues that are there have not been touched at all. It is a master piece in evasion of issues. There is a reference, for example, to the observations of the High Court; but there is no reference whatsoever to the strictures of the High Court with respect to the insensitiveness of the Government to the demands of the postal employees.

Sir, I have here with me the extracts of those observations, but time may not permit me to place them before you. This Ministry is an insensitive Ministry. We have an experience that even regarding our constituency matters, when we place a number of points and demands, we are told that everything is according to the norms and the things are rejected. We have such a Ministry here.

The strike that is there now has not come up suddenly. The Talwar Committee gave its recommendations in 1997. A strike was called in July, 1998. The hon. Prime Minister intervened then and assured this House that within one month, all the problems will be solved. Even the hon. Prime Minister's words were not carried out by this Ministry.

Again, on the 4th April, the hon. Minister, Shri Ram Vilas Paswan thundered in favour of the postal employees. But, then, he slept again on his thunder. The notice of the strike was given in May, 2000. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Banatwalla, please conclude. What is your question?

...(Interruptions)

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I will come to the question. Please do not be restless. I know the time that is with me. So, please do not be restless.

*Not Recorded.

Sir, we are considering the plight of the very poor people who are working hard. The Extra-Departmental employees, 50 per cent of the total strength of the staff, are getting hardly less than 50 per cent of the wage to which they are entitled, as compared to other employees.

Sir, on 1st May, there was an agreement between the Government and the postal employees. Then, the postal employees were assured that within four months the agreement would be fulfilled. What has happened to it? There is no reference whatsoever in the evasive reply. My question is: what were the agreed issues of May this year? You number them and tell us. Please do not evade what were those agreed issues; tell us how did you and how far have you implemented those agreed issues? You have failed to implement those agreed issues. What are the reasons for the same?

Sir, here, in the evasive reply, nothing has been mentioned about the Talwar Committee's recommendations on status, pension, etc. It is a reply that stoops to the level of incorrect statements also.

I would like to tell the Government not to think in terms of repressive and suppressive measures. Please do not think in terms of repression and suppression. People appreciate the work of the Extra-Departmental Employees. They do difficult work in remote places.

Now, money orders are being denied.

The revenue stamps are not there. All sorts of difficulties are being faced by the people.

सभापति महोदय : कालिंग अटेंशन में क्वश्चन पूछने की परिपाटी है, भााण करने की नहीं। रामदास जी, आप क्यों खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइये।

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, we are being told that the Group of Ministers has decided to ensure that all necessary action is taken to restore the postal services. Do not be insensitive to the inconveniences of the people. *Ad hoc* measures are not going to restore the postal services in full. We have experimented that earlier. Those measures have failed. Resolving all the demands of the postal employees is the main crux. You see to it that the people are not inconvenienced in the matter of postal services.

Let us, therefore, know what were the agreed issues of May this year and how did you implement them. The fact is that they are not implemented. The Government goes back on issues and assurances. ...(*Interruptions*) Therefore, we are having this strike.

This Government is so insensitive that there is no positive indication to the postal employees to pave the way for the withdrawal of the strike also. Such insensitive attitude should not be taken and let us know what positive indication the Government wants to give in order to meet this particular situation. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : ऑनरेबिल मिनिस्टर का जवाब हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण विाय है, कृपया बैठ जाइये।

*m08

श्री राम विलास पासवान :कालिंग अटेंशन में जिनका नाम होता है, उन्हीं को बोलने का हक होता है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कालिंग अटेंशन के माध्यम से, ध्यानार्काण प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का काम किया है और मुझे भी यह मौका दिया है कि मैं इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति को सदन के सामने रखने का काम करूं। माननीय सदस्य चक्रवर्ती साहब ने कहा कि जब पार्लियामेंट का सैशन चल रहा है तो आपने सुओ-मोटो स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। आपको मालूम है कि पांच तारीख से हड़ताल है और पांच तारीख से पार्लियामेंट बन्द रही। जब पार्लियामेंट खुली तो उस समय आपने जब मुद्दे को उठाया तो मैं दो दिन तक यहां बैठा हुआ था कि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं उस पर कुछ कहूं। â€¦(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) :आप जवाब नहीं दे रहे थे, आप खड़े होकर जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने रेस्पोंड नहीं किया।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज बैठ जाइये, जवाब सुनिये।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी ने चेयर से घोाणा की कि कालिंग अटेंशन हमने मंजूर कर लिया है। यही कारण था कि कल माननीय सदस्यों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। चूंकि आपको मालूम था कि कालिंग अटेंशन मंजूर हो गया है। आपकी बात पर मुझको भी आश्चर्य हो रहा है और मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि जहां कर्मचारी का सवाल आता है तो मैं कर्मचारी के हित में खड़ा होता हूं, भले आप पोलिटिक्स करते हों, लेकिन मैंने कर्मचारी के मामले में कभी पोलिटिक्स नहीं की है और न भविय में करूंगा। कम से कम बसुदेव आचार्य जी इस बात के गवाह हैं।â€¦(व्यवधान) चलिये, थोड़े हल्के हो गये, कम से कम हंसी तो आ गई। बसुदेव आचार्य जी इस बात के गवाह हैं कि जब मैं लेबर मिनिस्टर था, आज मैं इस बात को कहता हूं कि वह रामविलास पासवान था कि मैंने लेबर

मिनिस्टर की हैसियत से वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी हो, इसके लिए मैंने लेबर मिनिस्टर की हैसियत से राज्य सभा में बिल पेश किया और अपने कम्युनिस्ट बन्धुओं से मैं बार-बार आग्रह करता था कि आप इसको पास करवाओ, सरकार इसके लिए तैयार है।

आप कहते थे कि जरा हल्ला-गुल्ला होने दीजिए, तब पास होगा, बिना मांगे क्यों दे रहे हैं। अंत में वह सरकार गिर गई।â€¦(व्यवधान)मैं रिकार्ड में दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने मुखर्जी साहब थे, चतुरानन मिश्र जी थे।â€¦(व्यवधान)हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर यह चार्ज लगाए कि राम ि वलास पासवान मजदूर विरोधी है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। इसका सबूत है चाहे रेल मंत्रालय में कैजुअल लेबर का मामला हो। आप रोज हमसे लड़ते थे और हम अपने अधिकारियों को बुलाकर डील करने का काम करते थे। अभी भी संचार मंत्रालय में चाहे क्लास थ्री या क्लास फोर को या सफाई कर्मचारियों को टेलीफोन देने का मामला हो, जितना सम्भव हुआ हमने मजदूरों के साथ उतना सहयोग किया। जितना आपके मन में दुख है, हमारे भी है। मैंने सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट के यूनियन लीडर्स से ही नहीं, अपितु बाहर के भी यूनियन लीडर्स को बुलाकर बातचीत की है। हमने कहा कि इनको समझाएं, इनकी क्या मांगें हैं। जिन लोगों ने भी उनकी मांगें देखीं, उन्होंने कहा कि इस कारण ये लोग पूरे देश को हड़ताल पर ले जा रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। आपने भी उनकी मांगें बताई हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनकी मांगों का जिक्र किया। ये वही मांगें हैं, जो बनातवाला साहब कह रहे थे, जिनको मई के महीने में भी रखा गया था। आपने सुामा जी का नाम लिया। सुामा जी ने संसद में मंत्री की हैसियत से 16 और 17 जुलाई को स्टेटमेंट दिया था। जो सैटलमेंट हुआ, वह 17.12.1998 को हुआ, जिसको फुल एंड फाइनल सैटलमेंट कहा गया। यह बात मैंने अपने एम्प्लाइज से भी पूछी थी। उन्होंने कहा कि शायद फुल एंड फाइनल विभाग ने कहा, हमने नहीं कहा। मेरे पास विभाग की चिट्ठी है, जिसमें हमारे कर्मचारी बंधुओं ने प्रशंसा की है। यह यूनियन की चिट्ठी है, जो उन्होंने 18 दिसम्बर, 1998 को लिखी थी।

> "We appreciate the considerable progress in the resolution of demands on which the postal employees representing NFPE/FMPU and other recognised unions/associations have gone on strike during July 1998. Keeping in view the *suo motu* statements of the Minister of Communication in Parliament regarding the package of benefit for the extra-departmental agents and the finalisation of the reports of the Committee set up by the department regarding the upgradation of pay-scales for different cadres in the department, which has figured in the 10-point charter of demands for strike in July 1998, we the undersigned representing various postal staff unions hereby withdraw the notice dated 7.12.1989 of two days strike on 21st and 22nd December, 1998."

श्री बसुदेव आचार्य : आप आखिरी लाइन भी पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है।

श्री राम विलास पासवान : मैं पढ़ रहा हूं।

> "It is hoped that the administration will ensure speedy action for implementation of the outstanding issuesâ€¦"

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं हुआ, तो वे क्या करेंâ€¦(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपने अपनी बात रख दी है, अब मेरी भी सुनें। मैंने यह कहा कि उन्होंने एग्रीशिएट करने का काम कियाâ€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप इतने सीनियर मेम्बर हैं। आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :अब उसके बाद मांग पर आइए कि उनकी मांग क्या हैं? उनकी मांग की सूची मैं एक-एक करके पढ़ता हूं। उनकी तीन तरह की मांगें हैं। एक मांग ई.डी.ए. एक्सट्रा-डिपार्टमेंटल एजेंट्स से संबंधित है। उन ई.डी.ए. कर्मचारियों की भी तीन मांगें थी। एक मांग नोमिनक्लेचर की थी। अभी हमारे साथी मूर्ति जी कह रहे थे कि कांट्रेडिक्शंस हैं। बनातवाला साहब भी कह रहे थे कि यह एग्रीमेंट था। आपस में एग्रीमेंट था, उसकी बातें हो रही हैं। नोमिनक्लेचर के संबंध में कांट्रेडिक्शंस हैं। फुल एंड फाइनल के बाद यह बात सही है कि जब हम लोग बैठे थे तो उसके बाद हम लोग नहीं चाहते हैं कि कंफ्रंटेशन का रास्ता हो। उसको देखते हुए लॉ मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। लॉ मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि नोमिनक्लेचर को नहीं बदला जाएगा। फिर हम लोगों ने विचार-विमर्श किया कि चूंकि ई.डी.ए. में नब्बे प्रतिशत कर्मचारी दलित लोग हैं और इसीलिए जहां तक उनकी मांगें हैं, उनकी मांगों को हम आज भी कहते हैं कि जायज हैं, कल भी कहते थे कि जायज हैं और आगे भी कहेंगे कि जायज हैं। आप तथा सब लोगों ने कहा कि जायज हैं। सब लोगों ने कहा कि जायज हैं और हर लोगों की सरकार यहां थी तो अभी तक उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं हुई?â€¦(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हुई नहीं, तो अब पूरी करो।â€¦(व्यवधान)अब तो आप हैं। आपको ही पूछेंगे और किसको पूछेंगे?â€¦(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :इस देश में कांग्रेस की भी सरकार रही। इस देश में आपके समर्थन से भी सरकार रही।â€¦(व्यवधान)आप 1998 में चाहते तोâ€¦(व्यवधान)इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मांगें जायज हैं लेकिन मांगें जायज होने के बावजूद भी सरकार के पास जो रिसोर्सेज और जो पैसा होता है, उसको देखते हुए मैंने कहा कि उनकी दो तरह की मांग हैं एक मांग है जिसमें पैसा खर्च नहीं होगा और दूसरी मांग जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर की है और यदि पैसा खर्च भी होगा तो भी हम दोनों मांगों को तुरंत मानेंगे। इसीलिए जो नाम का मामला है, भट्टाचार्य साहब तथा पिल्लै साहब कल सुबह हमारे पास आये थे। उन्होंने कहा कि दूसरा नाम रखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि पासवान जी, यह नाम रखिये। मैंने तुरंत लॉ सैक्रेटरी और हमारे डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी सोम जी को टेलीफोन किया कि यह नाम रख दीजिए और इस तरह वह नाम रख दिया।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या नाम रख दिया?â€¦(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :जब आप फाइल विदड्रॉ करवाएंगे, तब नाम बतलाएंगे।â€¦(व्यवधान)उसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक अफसर को नियुक्त करो। 01-05-2000 का एग्रीमेंट यह था कि जो हम लोगों का समझौता विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके हुआ था कि अतिरिक्त विभागीय एजेंट्स की नामावली को बदलने की पुनर्जांच करनी है। उन्होंने कहा कि पुनर्जांच करो और हमने उस मांग को मान लिया। उन्होंने कहा कि केवल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक अधिकारी मनोनीत करो और हमने मनोनीत कर दिया। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के साथ परामर्श करके ई.डी. एजेंटों की पेंशन की मांग की जांच की जाए। अब आप समझ सकते हैं कि ई.डी. एजेंट जो यहां हैं, ये कर्मचारी केवल हमारे डिपार्टमेंट में ही नहीं हैं बल्कि रेलवे में भी हैं, हरेक जगह में हैं। उनकी जहां तक पेंशन का सवाल है, हम लोगों ने उसके संबंध में कहा कि सोशल सिक्योरिटी के तहत हम उसकी कुछ व्यवस्था करेंगे लेकिन जहां तक पेंशन

का सवाल है, यदि एक जगह करेंगे तो चाहे कारण कुछ भी हो, लिस्ट लगी हुई है, यदि हम एक जगह पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो उसका प्रभाव दूसरी जगह पर भी पड़ेगा। मैंने शुरु में ही कहा था कि जिस मांग का प्रभाव हमारे मंत्रालय से बाहर पड़ेगा, उस मांग को विचार करने में हम असमर्थ हैं। उसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देख रहा है और जो हमारी अंदर की मांग है, हम उसको देखने के लिए है। तीन में से दो मांग पूरी मान ली है। एक मांग को अस्सी प्रतिशत मान लिया है और वह तीन लाख नौ हजार कर्मचारी से संबंधित है। उसके बावजूद भी आप हड़ताल पर रखे हुए हैं और कहते हैं कि दलित लोग हैं। जो लोग उसमें लीड कर रहे हैं, वे कौन लोग हैं? â€¦(व्यवधान)उनको क्या मालूम है कि कल को यदि किसी की नौकरी जाएगी तो उनको चिंता नहीं होगी। उनको कोई चिंता नहीं होगी।

पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। ईडीए के विभागीय कर्मचारी 3 लाख 9 हजार हैं। इन कर्मचारियो की पहली मांग है, यदि डाक सहायक एकाउन्ट परीक्षा पास कर चुका है, तो उनको स्पेशल वेतनमान दिया जाए। हमने कहा - स्वीकार है। इसके बाद उन्होने कहा - HSG-II के दस प्रतिशत लोगों को HSG .I में अपग्रेड किया जाए। हमने कहा - यह मांग भी हमको स्वीकार है। फिर उन्होने कहा - पोस्टल एकाउन्ड कैडर में सोर्टर को LDC के पद पर पदोन्नत किया जाए। हमने कहा - यह भी हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा - मोटर मेल सेवा और स्टाफ का वेतन बढ़ाने के लिए कैडर रिव्यु किया जाए। हमने कहा - कैडर रिव्यु कर रहे हैं। फिर उन्होने कहा - पोस्टमैन को जो वेतन दिया गया है, वह कान्स्टेबल के बराबर दिया जाए और इसको 1.1.96 से लागू किया जाए। हमने कहा - पांचवा पे-कमीशन 1996 में आया था, पहले कान्स्टेबल और पोस्टमैन का एक स्केल था, इसमें पोस्टमैन को नीचे कर दिया गया है और कान्सटेबल को ऊपर कर दिया गया है। मामला सरकार के पास गया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया - नहीं, पोस्टमैने के बराबर करो । दोनों को एक तरह से कर दिया गया और जिस दिन से कान्सटेबल को वेतन मिला, उसी दिन से, 1997 से, इनके भी वेतन देना शुरू कर दिया । अब पोस्ट वाले कहते हैं कि नहीं, हमको 1.1.96 से लागू करो । ये लोग कोर्ट में गए हुए। हमने कहा, मामला कोर्ट में है, यदि कोर्ट 1.1.96 से लागू कर देती है, तो हम भी लागू कर देंगे। यदि नहीं करती है, तो हम भी नहीं करेंगे। इस स्थिति में यदि अभी कर देते हैं, तो कन्टैम्पट आफ कोर्ट हो जाएगा। मैं सदन को पंच मानकर चलता हूं। हमारा और आपका मामला टैग है और कोर्ट में पैंडिग हैं, तो कैसे किया जा सकता है। इसके बाद TOBP और BCR तथा ग्रेड-डी का मामला है। उनका कहना है कि पोस्ट में जो काम कर रहे हैं, उनका काम अलग है, इसलिए अलग वेतन दिया जाए। हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में पीयन है और जो पीयन प्राइम मिनिस्टर के गेट पर काम करता है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। कहा गया कि हमारा डिफ्रेंट नेचर आफ वर्क है। हमने कहा कि अगर आप डिफ्रेंट नेचर आफ वर्क है, तो आप सब ट्रेड यूनियन्स बैठ जाइए और स्किल्ड और सैमी स्किल्ड की सूची अलग-अलग तैयार कर लें, लेकिन वहां कोई एक लीडर तो है नहीं। झगड़े के कारण कोई बोलता नहीं है। सब लोग समझते हैं कि बात सही है, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें स्किल्ड भी हैं और यह भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले भी हैं। इसको बाइफरकेट

करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह से पे की बात है, पांच स्केल बनाए गए हैं, Gr. I to Gr. V. वे कहते हैं कि ग्रेड-I नहीं रहेगा और Gr.II-IV and VI करो। इनका मामला स्टैनोग्राफर के वेतन में वृद्धि करने का है, डिसपैच राडर में वृद्धि और ये दोनों मामले जेसीएम के पास गए हुए हैं। दोनों ने अपने-अपने पक्ष को रखा, तो दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया। वे भी जानते हैं कि संभव नहीं है। इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसके बावजूद भी हमने कहा कि सरकार ने रिजैक्ट नहीं किया है। अभी जितना मिल रहा है, ले लो और अभी जीओएम - ग्रुप आफ मिनिस्टर्स - बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर इनकी ये मांगे हैं और इन मांगों को लेकर पूरे देश में इतनी क्राइसेस डालना, मैं समझता हूं कि न इसे सदन एप्रीशिएट करेगा और न कोई अन्य करेगा।

आप यदि हमसे कहें तो मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह क्या मामला है, हर साल- दो साल के बाद यह आंदोलन क्यों होता है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी का भाण समाप्त होने दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, इस पर इतना समय हो गया है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : खुराना जी, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, आप मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, इस पर एक घंटा 40 मिनट हो गए हैं।â€¦(व्यवधान)

दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, उसके ऊपर चर्चा कब करेंगे?â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं, मंत्री जी जवाब न दें?

â€¦(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान :अब यदि ये वाक आउट करने के मूड में हैं तो चले जाएं, नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए।â€¦(व्यवधान)इन्होंने तलवार कमेटी के बारे में कहा।â€¦(व्यवधान)देखिए, तलवार कमेटी के पहले कितना मिलता था। जब तलवार कमेटी लागू हुई, उसके पहले 770 रुपए से 1142 रुपए मिलते थे और अब 1884 रुपए से 3637 रुपए मिल रहे हैं।â€¦(व्यवधान)आपने कहा कि तलवार कमेटी की रिपोर्ट का आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं,â€¦(व्यवधान)आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। यहां रघुवंश बाबू बैठे हुए हैं। यदि तलवार कमेटी की रिपोर्ट को पूरे तौर से लागू किया जाए तो सरकार को डाउन साइज़ करना होगा।â€¦(व्यवधान)दस साल तक भर्ती और ईडी आफिस खोलने पर रोक, यह तलवार कमेटी की रिपोर्ट है। अधिकतम आयु सीमा 60 साल, जिनकी तीन साल से कम की सेवा हो, उन्हें छ: माह का वेतन देकर उनकी छुट्टी कर दीजिए, ये सारा का सारा है। हमने नेगेटिव प्वाइंट को नहीं माना है, उनका जो पोजिटिव प्वाइंट है उसे हमने मानने का काम किया है।

आप जो एस्मा के संबंध में कह रहे थे, मैंने कहा कि मेरा एस्मा का सुझाव नहीं है, यह कोर्ट का आदेश है। खुराना साहब जी कहते हैं यह उनका मामला है। कोर्ट का आदेश डेढ़ पन्ने का है, आप कहें तो मैं उसे पढ़ दूं।â€¦(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the hon. Delhi High Court had also directed the Government to resolve the issue....(*Interruptions*)

सभापति महोदय आप बैठिए।

श्री रामविलास पासवान महोदय, मैं आज भी यह कहना चाहता हं कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। मेरे पास जो भी माननीय सदस्य आएंगे, मैं उनके साथ बात कर सकता हूं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि देश में काम रुके, हमारे जो गरीब भाई हैं- चाहे सरकारी कर्मचारी हों या जिनको पैसा मिलने वाला हो, उन दोनों को कोई बाधा पहुंचे*

लेकिन मैं जानता हूं कि वहां राजनीति भी नहीं होनी चाहिए लेकिन वहां राजनीति हो रही है, खुलकर राजनीति की जा रही है और गरीब जनता को इससे परेशानी हो रही है। â€¦(व्यवधान)इसलिए मैं अपमानित हो गया हूं। â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब शून्यकाल लिया जाएगा। शून्यकाल से पहले यशवन्त सिन्हा जी आप स्टेटमेंट इंटूड्यूस कर सकते हैं। â€¦(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we are not satisfied with the reply given by the hon. Minister and we are walking out in protest.

13.46 hrs

(At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other

hon. Members left the House.)

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Sir, on behalf of the ADMK, we are also walking out.

13.47 hrs

(At this stage, Shri T.M. Selvaganapathi and some other

hon. Members left the House.)

_____